

**भाग—2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)**

16

परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

- i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र
- (ii) जिला
- (iii) जिला वन प्रभाग
- (iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

17 पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः

18 अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:

- (i) वन का प्रकार
- (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व
- (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणना
- (iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

19 भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :

- (i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :
- (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध रिजर्व, हाथी कोरोडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

- (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका—टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोगित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका—टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडॉन के विकासखण्ड—नैनीडांडा के अन्तर्गत खण्डोलिया खेत से कौला—पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

उत्तराखण्ड

पौड़ी गढ़वाल

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

0.450 हैक्टेयर

आरक्षित वन भूमि—0.00 है, राजस्व वन भूमि—0.90 है एवं वन पंचायत भूमि 0.360 है तो कुल 0.450

राजस्व

0.4

प्रारूप—19 के अनुसार चीड़ प्रजाति के विभिन्न व्यास वर्ग के कुल 73 वृक्ष प्रभावित होंगे।

मोटर मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

भू—वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित स्थल हेतु दिये गये सुझावों के आधार पर मोटर मार्ग निर्माण के लिये भू—गर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त है।

0.020 कि.मी।

हिरन, तेंदुआ, बन्दर, घुरड़, काकड़ आदि वन्य जीव विद्यमान हैं।

नहीं।


नहीं।

नहीं।

नहीं।

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) नहीं।
23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :  
 (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए हैं।  
 (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश कि —
24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :  
 (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है नहीं। (हां/नहीं)  
 (ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही  
 (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) नहीं।
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :  
 (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिये पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। लागू नहीं।  
 (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। लागू नहीं।  
 (iii) क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। लागू नहीं।  
 (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। लागू नहीं।  
 (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :  
 (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उप वन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। लागू नहीं।
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न हैं (हां/नहीं)। हैं। (प्रारूप-7)
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों जनहित में संस्तुति की जाती है।

स्थान पौड़ी गढ़वाल।  
तारीख.....

  
 हरसिक्षर चौहान शासकीय मुद्रा  
 (मकेश कम्पार)  
**उप उन्नत संसद**  
 प्रशासीय वनप्राधिकारी,  
 गढ़वाल वनप्राधिकार, पौड़ी